लॉस एंड डैमेज फंड से अमेरिका का बाहर होना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अमेरिका ने **लॉस एंड डैमेज फंड (LDF)** से खुद को अलग कर लिया है, जिससे **पेरिस समझौते** और **ग्रीन क्लाइमेट फंड** जैसी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं से उसकी दूरी और बढ़ गई है।

- **LDF: मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27** में गठित **LDF**, **विकसित देशों** के योगदान के साथ, **बढ़ते समुद्र स्तर, उष्ण लहरों और चरम मौसम** जैसी जलवायु-जनित क्षतियों का सामना कर रहे **विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों** का समर्थन करता है।
  - LDF का प्रबंधन एक **शासी बोर्ड** द्वारा किया जाता है, जिसका **अंतरिम ट्रस्टी** विश्व बैंक है।
  - **LDF** के तहत लगभग **750 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का वादा किया गया था, जिसमें वापस लेने से पहले **अमेरिका ने 17.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का योगदान दिया था।
- **अमेरिकी वापसी के निहितार्थ: भारत** सहित सुभेद्य राष्ट्रों **(जिन्होंने अकेले ही मौसम संबंधी क्षति (2019-2023) में 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामना किया है)** को जलवायु सहायता में बढ़ती अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्तर-दक्षिण जलवायु वार्ता पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- **क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - **अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- **हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- **अल्प विकसित देश कोष (LDCF)** और **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)**
- **दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - **कानकुन समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - **पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- **लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमज़ोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	कमज़ोर भारतीय राज्यों के लिये
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को ख़त्म करना
अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

और पढ़ें: लॉस एंड डैमेज फंड

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/us-withdrawal-from-loss-and-damage-fund